

an>

title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of Article 24).

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

श्री ए.टी.नाना पाटील: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

-